

**पेंशन क्षेत्र की प्रमुख इकाइयों और योजनाओं पर सीएजी की निष्पादन लेखापरीक्षा रिपोर्ट
प्रस्तुत**

पेंशन क्षेत्र की प्रमुख इकाइयों और योजनाओं पर भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक (सीएजी) की 2026 की निष्पादन लेखापरीक्षा रिपोर्ट नंबर 15 आज संसद में पेश की गई।

पेंशन क्षेत्र में प्रभावी शासन, विवेकपूर्ण निधि प्रबंधन और अभिदाताओं के हितों की सुरक्षा के लिए मौजूदा कानूनी, विनियामक और संस्थागत ढांचे की कार्यप्रणाली का आकलन करने के मकसद से पेंशन क्षेत्र की प्रमुख इकाइयों और योजनाओं की निष्पादन लेखापरीक्षा की गई। यह लेखापरीक्षा अप्रैल 2017 से मार्च 2024 की अवधि के लिए की गई थी। इसमें वित्तीय सेवाएँ विभाग और अन्य संबंधित मंत्रालयों/विभागों, पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए), कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ), कोयला खान भविष्य निधि संगठन (सीएमपीएफओ), नाविक भविष्य निधि संगठन (एसपीएफओ), असम चाय कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (एटीईपीएफओ), छह स्वायत्त निकायों/सीपीएसई द्वारा प्रबंधित पेंशन प्रणालियों और चार प्रमुख सरकारी पेंशन योजनाओं के संबंधित रिकॉर्ड की जांच शामिल थी।

लेखापरीक्षा के मुख्य निष्कर्ष इस प्रकार हैं:

शासकीय ढांचा

- पीएफआरडीए एक विनियामक होने के साथ-साथ एनपीएस न्यास के सीईओ और न्यासियों को नियुक्त करने वाला प्राधिकरण भी था। पीएफआरडीए ने मध्यस्थों को भी नियुक्त किया और एनपीएस न्यास के साथ उसका संबंध पूरी तरह स्वतंत्र नहीं था। इसी तरह, ईपीएफओ ने पोर्टफोलियो प्रबंधकों का चयन किया और उनके बीच निधियों को आबंटित किया, साथ ही उनकी गतिविधियों की निगरानी और निरीक्षण भी किया।
- न्यासी बोर्ड की बैठकों के लिए समय-सीमा या तो तय नहीं की गई थी (सीएमपीएफओ, एटीईपीएफओ, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड और मेकॉन लिमिटेड में) या बोर्ड/समितियों ने निर्धारित आवृत्ति के अनुसार बैठक नहीं की (सीएमपीएफओ और एसपीएफओ में)।
- पीएफआरडीए की वार्षिक रिपोर्टों में किसी ऐसी प्रणाली का उल्लेख नहीं था जिसके आधार पर पेंशन फंड के निष्पादन का आकलन किया जा रहा हो। इसके अलावा,

एनपीएस के मामले में पेंशन फंड प्रबंधकों द्वारा निवेश दिशानिर्देशों के उल्लंघन के मामले भी देखे गए।

- ईपीएफ एक्ट के तहत छूट प्राप्त कुछ संस्थानों द्वारा निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट दाखिल न करने और एटीईपीएफओ द्वारा चाय बागानों के अपर्याप्त निरीक्षण के मामले भी देखे गए।

निधि प्रबंधन

- भारत में पेंशन क्षेत्र के लिए निवेश का ढांचा विभिन्न निवेश दिशानिर्देशों से तय होता था, जैसे कि पीएफआरडीए, श्रम और रोजगार मंत्रालय और वित्त मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्देश।
- लेखापरीक्षा में पाया गया कि ईपीएफओ, सीएमपीएफओ, एसपीएफओ और एटीईपीएफओ के मामले में पेंशन फंड को निर्धारित निवेश श्रेणी से कम रेटिंग वाली प्रतिभूतियों में निवेश किया गया था। छूट प्राप्त फंड में भी ऐसी ही समस्याएँ देखी गईं, जैसा कि कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया लिमिटेड और चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के मामलों में हुआ।
- पेंशन फंड के बीमांकिक मूल्यांकन से ईपीएफओ और सीएमपीएफओ के मामले में परिसंपत्ति-देयता में काफी अंतर का पता चला। इसके अलावा, ईपीएफओ के बीमांकिक मूल्यांकन में गारंटीकृत न्यूनतम पेंशन देयता को शामिल नहीं किया गया था, जबकि एटीईपीएफओ ने कोई बीमांकिक मूल्यांकन नहीं किया था।

अभिदाताओं के हितों का संरक्षण

- जहाँ ईपीएफओ और सीएमपीएफओ ने ₹1,000 की न्यूनतम मासिक पेंशन की गारंटी दी, वहीं एनपीएस ने किसी न्यूनतम सुनिश्चित प्रतिफल का वादा नहीं किया। साथ ही, ईपीएफओ की कर्मचारी पेंशन योजना में ₹15,000 से ज़्यादा वेतन वाले कर्मचारियों को शामिल नहीं किया गया, जिससे पेंशन कवरेज सीमित हो गया।
- पीएफआरडीए के पास शिकायतों के समाधान के लिए एक स्पष्ट प्रणाली थी, जिसमें मामले को आगे बढ़ाने (एस्केलेशन) का तरीका और लोकपाल (ओम्बड्समैन) की व्यवस्था थी। इसके विपरीत, ईपीएफओ में लोकपाल नहीं था और दूसरे पेंशन सिस्टम मुख्य रूप से सीपीग्राम्स या मैन्युअल प्रक्रियाओं पर निर्भर थे।
- पीएफ एक्ट, 1925 के तहत आने वाले और छूट प्राप्त संस्थानों में भी शिकायत निवारण के तरीके कमज़ोर थे। इसकी वजहें थीं - शिकायत निवारण की कोई विस्तृत पॉलिसी न होना (जिसमें समाधान का समय, समाधान का चरण और मामले को आगे बढ़ाने

का तरीका शामिल हो) और शिकायत दर्ज करने व ट्रैक करने के लिए किसी आईटी पोर्टल का न होना।

असंगठित क्षेत्र के लिए योजनाएं

- असंगठित क्षेत्र के लिए स्वैच्छिक पेंशन योजनाओं, जैसे अटल पेंशन योजना (एपीवाई), प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना (पीएमएसवाईएम), प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना (पीएमकेएमवाई), के लक्षित समूह अतिव्यापी थे, जिसके कारण कम नामांकन और अभिदाताओं के दोहराव जैसी समस्याएं हुईं।
- एपीवाई ने अपना अभिदाता नामांकन लक्ष्य पांच साल की देरी से पूरा किया, जबकि पीएमएसवाईएम और पीएमकेएमवाई अपने अभिदाता लक्ष्यों का केवल एक छोटा हिस्सा ही हासिल कर पाए।
- एक जैसे लाभ देने के बावजूद, एपीवाई और पीएमकेएमवाई के निवेश संबंधी नियम अलग-अलग थे।
- जहां एपीवाई के लिए अंतर वित्तपोषण (गैप फंडिंग) की ज़रूरतों का अनुमान लगाने के लिए बीमांकिक मूल्यांकन किया गया था, वहीं पीएमएसवाईएम और पीएमकेएमवाई के लिए ऐसा कोई मूल्यांकन नहीं किया गया, जबकि ये योजनाएं पांच साल से चल रही थीं।